मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सा/6-3/85/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 1986

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—कलेक्टर्स द्वारा कार्मिकों का निलंबन.

राज्य शासन के ध्यान में यह आया है कि अनेक जिलाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को निलंबित कर देते हैं. चाहे वे इसके लिये सक्षम हों या नहीं ओर फिर निलंबन का कार्योत्तर स्वीकृति के लिये संभागीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष या राज्य शासन को लिखते हैं. यह कार्यवाही गलत है और इस प्रकार के सभी आदेश void ab intio हैं.

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत् ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई भी नियंत्रण अधिकारी निलंबन आदेश जारी कर सके. केवल नियुक्ति अधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ नियुक्ति अधिकारी हो या इस संबंध में राज्यपाल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी ही निलंबन आदेश पारित कर सकता है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निलंबन केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से ही हो सकता है. भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन का प्रावधान नियमों में नहीं है, इसलिये अगर संभागीय कमिश्नर, विभागाध्यक्ष या शासन के किसी विभाग द्वारा निलंबन की ''पुष्टि'' की जाती है तो वह भी अवैध है.

3. अनियमित निलंबन आदेशों के फलस्वरूप राज्य शासन को अन्य प्रशासनिक कठिनाईयों के साथ-साथ वित्तीय हानि भी होती है क्योंकि शासकीय सेवक को बाद में तथा कथित निलंबन की अवधि में कार्य पर माना जाता है और उसे बिना कार्य किये वेतन/भत्ते की पात्रता हो जाती है.

4. अत: सभी जिलाध्यक्षों से अपेक्षा है कि वे अपने प्रत्यायोजित अधिकारों में न आने वाले शासकीय सेवकों के निलंबन आदेश स्वयं जारी न करें. निलंबन की अनिवार्यता की अनुशंसा करते हुये वे मामले का संबंधित सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करें.

हस्ता./
(एन. एस. सेठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक सी/6-3/85/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1986

प्रतिलिपि :

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त संभागीय कमिश्नर
3. समस्त विभागाध्यक्ष

हस्ता./
(एन. एस. सेठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.